समाचार

मिनीमाता कन्या महाविद्यालय से लगे नशापान की दुकानों व मुख्य मार्ग से लगे अवैध ठेले गुमठियों को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने हटाया

कोरबा 12 मार्च 2026 – नशामुक्त भारत अभियान के तहत स्कूल, कालेज व शैक्षणिक संस्थान के समीप के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करना है, अगर कोई व्यापारी बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर कोटपा (COTPA) लागू की जाएगी। जोन कमिश्नर श्री पवन वर्मा की अगुवाई में कोरबा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से नगर निगम कोरबा का बुलडोजर एक्शन मोड़ में देखने को मिला। नगर निगम कोरबा की टीम ने घंटाघर के आसपास सड़क किनारे ठेला लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से सड़क किनारे लगाए गए ठेलों और अस्थायी दुकानों को हटाते हुए पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया।

कार्यवाही का नेतृत्व कर रहे निगम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत व आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के दिशा निर्देशन पर चलाया जा रहा है। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और नशे के अड्डों पर रोक लगाने के लिए लगातार इस तरह की कार्यवाही की जाएगी।

जिला प्रशासन, निगम प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ मिनीमाता कन्या महाविद्यालय के सामने सड़क पर काफी समय से किए जा रहे अतिक्रमण को आज हटाकर स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया, साथ ही अतिक्रमणकारियों को कड़ी हिदायत दी कि वे पुनः अतिक्रमण का प्रयास न करें, अन्यथा अतिक्रमण तो हटेगा ही, साथ ही अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश

दिए हैं कि निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित स्कूलों, कालेजों के समीप इस प्रकार की गतिविधियॉ व अतिक्रमणकर व्यवसाय का संचालन करना कतई स्वीकार्य नहीं होगा। स्कूल, कालेज के समीप अवैध रूप से ठेला गुमठी लगाकर कतिपय लोगों द्वारा व्यवसाय किया जाता है, इन ठेला, गुमठियों में तम्बाकू उत्पाद, गुटका, पान, सिगरेट आदि का विक्रय भी संभावित रहता है, साथ ही ये अवैध गुमठी, ठेले असामाजिक तत्वों के जमावड़े का अड्डा भी बनते है, जिसके कारण स्कूल, कालेजों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को कालेज आने जाने में अनावश्यक असुविधा होती है व अन्य असामाजिक घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। इसके मद्देनजर आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों, जोन कमिश्नरों व फील्ड स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस पर कड़ी नजर रखें तथा यह सुनिश्चित कराए कि स्कूल, कालेज के समीप इस प्रकार की गतिविधियॉ संचालित न हो तथा अवैध गुमठी ठेले आदि न लगे।

आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने व्यवसायियों से अपील की है कि आवागमन के सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिये अनावश्यक रूप से दुकान के सामने व मुख्य मार्गो एवं सड़कों पर व्यवसायियों द्वारा अपने दुकान की सामग्रियों को प्रदर्शित करने के लिये रोड के किनारे निकाला जाता है, उसे न निकाले एवं अवैध रूप से ठेले गुमठी रखकर या अतिक्रमण किया जाएगा तो नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी।